2025:CGHC:40866

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 1009/2022

टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा विधिक प्रबंधक, वर्तमान पता: कार्यालय क्रमांक 403, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कॉर्पोरेट पार्क, फ्लैट नंबर 1, ब्लॉक नंबर 9, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.)। (मोटर साइकिल क्रमांक C.G. 06–G.N.–8411)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1– सुंदर सिंह सिदार, पिता स्व. पिरित सिदार, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी ग्राम भोगडीह, पोस्ट ऑफिस परसापाली, थाना सलिहा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़।

2– चंदाबाई सिदार, पति सुंदर सिंह सिदार, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम भोगडीह, पोस्ट ऑफिस परसापाली, थाना सलिहा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छत्तीसगढ़।

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री हरनीत कौर, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री राकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

एकलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

13.08.2025

1. अपीलार्थी/बीमा कंपनी ने यह अपील मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन, प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 63/2020 में दिनांक 05.07.2022 को पारित अधिनिर्णय की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसमें दावाकर्तागण के दावा आवेदन को स्वीकार किया गया है और दुर्घटना कारित करने वाले मोटर–साइकिल के स्वामी–सह–चालक की मृत्यु के लिए दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 9% वार्षिक ब्याज सहित ₹15,00,000/– की प्रतिकर राशि अधिनिर्णीत की गई है।

2. मृतक गणपत सिदार दुर्घटना कारित करने वाले मोटर–साइकिल क्रमांक CG 06 GN 8411 का स्वामी था और उक्त वाहन को चलाने के दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उक्त वाहन अपीलार्थी बीमा कंपनी के पास दिनांक 11.03.2019 से 10.03.2024 तक के लिए बीमित था। गणपत सिदार की मृत्यु पर, दावाकर्तागण ने प्रतिकर का दावा करते हुए दावा अधिकरण के समक्ष मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान दावा अधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए स्वीकार कर लिया गया कि बीमा पॉलिसी (प्रदर्श पी–8) स्वामी–सह–चालक के जोखिम को ₹15,00,000/– की सीमा तक आच्छादित करती है और बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि मृतक के पास मोटर–साइकिल चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं था, अतः दायित्व बीमा कंपनी पर अधिरोपित किया गया है।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री हरनीत कौर ने प्रथमतः यह तर्क किया कि बीमा पॉलिसी में स्वामी के जोखिम को आच्छादित नहीं किया गया था, इसलिए दावा आवेदन पोषणीय नहीं है, और द्वितीयतः, बीमित राशि प्राप्त करने के क्रम में, अधिकरण ने अंततः यह पाया कि वाहन चलाने के लिए स्वामी के पास वैध एवं प्रभावी चालन–अनुज्ञप्ति नहीं था; अतः आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाए और अपील स्वीकार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ठाकुर ने आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया एवं यह तर्क किया कि बीमा पॉलिसी चालक–सह–स्वामी के जोखिम को ₹15,00,000/– की सीमा तक आच्छादित करती है और बीमा कंपनी यह साबित करने में असफल रही है कि मृतक के पास वैध एवं प्रभावी चालन–अनुज्ञप्ति नहीं था; अतः विद्वान दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी पर दायित्व अधिरोपित करके पूर्णतः उचित किया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है, उनके द्वारा ऊपर प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक अभिलेखों का परिशीलन किया है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध आशालाता भौमिक व अन्य**[1] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि संविदात्मक दायित्व सीमित होता है और कण्डिका 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> "9. अतः, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी बीमाकर्ता को अधिकरण द्वारा अवधारित प्रतिकर राशि का संदाय करने का निर्देश देना न्यायोचित नहीं

1 (2018) 9SCC 801

था। चूंकि बीमा अनुबंध के अधीन मृतक की व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए विस्तारित प्रतिकर ₹2,00,000/– तक सीमित है, इसलिए उत्तरवादी प्रतिकर के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त ₹2,00,000/– की राशि, दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से जमा करने की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज सहित, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकरण के पास जमा करे।"

आशालाता भौमिक (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का आगे **रामखिलाड़ी व एक अन्य विरुद्ध यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व एक अन्य**[2] के प्रकरण में भी अनुपालन किया गया है।

7. साक्षी अ.सा.–1 द्वारा सिद्ध की गई बीमा पॉलिसी (प्रदर्श पी–8) स्वामी–सह–चालक की व्यक्तिगत दुर्घटना को भी आच्छादित करती है, जिसके लिए ₹330/– के प्रीमियम का संदाय किया गया है और वास्तविक दायित्व ₹15,00,000/– है; किंतु बीमित व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति के पास वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालन–अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है। इस संबंध में, यद्यपि बीमा कंपनी ने अभिवाक किया है और एक साक्षी गौरव जीतो का परीक्षण भी कराया है, किंतु इसे स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और स्व–हितकारी कथन के अतिरिक्त, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि मोटर–साइकिल चालक के पास वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी चालन–अनुज्ञप्ति नहीं था। प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में, मैं इस अपील में कोई सार नहीं पाता हूँ, यह खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार खारिज की जाती है। पक्षकारगण अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

2 (2020) 2 SCC 550